राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : अप्रैल 06, 2017

सं. एफ. 12(16)एफडी/टैक्स/2009–50 :– राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 12(16)एफडी/टैक्स/2009–50 दिनांक 24.10.2016 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

राज्यपाल के आदेश से,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना

जयपुर, 24 अक्टूबर, 2016

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में यथा वर्णित व्यवहारियों के प्रवर्ग के लिए स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित शर्तों पर स्तंभ संख्यांक 4 में यथा वर्णित सीमा तक, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है के नियम 19क के अधीन संदेय विलम्ब फीस की रकम का इसके द्वारा अधित्यजन करती है; –

सारणी

क्र. सं.	व्यवहारियों का प्रवर्ग	शर्तें	विलम्ब फीस के अधित्यजन की सीमा
1	2	3	4
1.	व्यवहारी जो, (i) उक्त नियमों के नियम 19 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित अभिस्वीकृति प्रस्तुत करने में असफल रहें; या (ii) उक्त नियमों के नियम 19 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के पश्चात् विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित अभिस्वीकृति प्रस्तुत कर दें।	व्यवहारी ने परादेय विलम्ब फीस की रकम के 20% के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) 30.11.2016 तक निक्षिप्त करा दी है।	विलम्ब फीस की शेष परादेय रकम
2.	व्यवहारी जो उक्त नियमों के नियम 19 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के पश्चात् विवरणी प्रस्तुत कर दें।	व्यवहारी ने परादेय विलम्ब फीस की रकम के 40% के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) 30.11.2016 तक निक्षिप्त करा दी है।	विलम्ब फीस की शेष परादेय रकम

[सं. एफ.12(16)एफ.डी./टैक्स/2009–50]

राज्यपाल के आदेश से,

(हृदयेश कुमार जुनेजा)

संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सी.डी. में साफ्ट कॉपी में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का आज के असाधारण गजट में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस आदेश की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के सीधे ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें। कृपया उपलब्ध सी. डी. का मिलान संलग्न हस्ताक्षरित अधिसूचना से मिलान कर प्रकाशन करावें।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री)
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव